राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः–प. 2(1)कार्मिक/क–2/अ.प्र./91 पार्ट जयपुर, दिनांक : 24/01/2019

परिपत्र

समस्त अति0 मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स सहित)।

विषयः–राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियों में अधिरोपित पेंशन रोकने के दण्ड का कार्मिक की पदोन्नति पर प्रभाव।

राजकीय सेवा में नियमित पदोन्नति और आवश्यक अस्थाई रूप से पदोन्नति के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के भाग–I के बिन्दु सं.–16 (पदोन्नति में दण्डादेश का प्रभाव) के बिन्दु सं.–3 की तालिका में पेंशन रोकने के दण्डादेश का पदोन्नति पर प्रभाव स्पष्ट है।

वर्तमान में कुछ विभागों से इस प्रकार के प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें पेंशन का कुछ भाग सदैव के लिए रोका गया है, के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन चाहा गया है कि इस प्रकार के दण्ड के कारण कार्मिक की पदोन्नति कितने वर्षों तक रोकी जावे, के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार के दण्डों का कार्मिक की पदोन्नति पर प्रभाव निम्नानुसार पड़ेगा :–

दण्ड का प्रकार	पदोन्नति पर प्रभाव		टिप्पणी
पेंशन रोकने का दण्डादेश	20 प्रतिशत से कम	एक वर्ष पदोन्नति रोकी जावे	प्रत्येक प्रकरण/आदेश के लिये अलग–अलग प्रभाव होगा।
	20 से 50 प्रतिशत तक	दो वर्ष पदोन्नति रोकी जावे	
	51 से 99 प्रतिशत तक	तीन वर्ष पदोन्नति रोकी जावे	
	100 प्रतिशत सदैव के लिए	पदोन्नति देय नहीं होगी।	

समस्त विभागाध्यक्षों एवं नियुक्ति प्राधिकारियों से निवेदन है कि कृपया पदोन्नति प्रकरणों में उक्त दिशा–निर्देश की पालना सुनिश्चित की जावे।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव 23/1/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।

24/1/2019
(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी प्रेषित है।

24/1/2019
संयुक्त शासन सचिव

02/2019